[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 4TH June, 2015

S.O. 1487(E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.862(E) dated the 12th December, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research Centre at Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan" by "Narayan Seva Sanstha, "Seva Dham", 483, Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan – 313002", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999; which was extended further vide notification number S.O.508(E) dated the 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002; which was extended further vide notification number S.O.785(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.1013(E) dated the 5th July, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 840(E) dated 25th March, 2009 for a period of three year beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide notification number S.O. 2895(E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.785(E) dated the 5th July, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs. 2.91 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore to Rs.10.00 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore; vide notification number S.O.249(E) dated the 15th February, 2007 the estimated cost was further enhanced from Rs.10.00 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore to Rs.34,23,86,748.00 including a corpus fund of Rs.2.00 crore; vide notification number S.O. 840(E) dated 25th March, 2009 the estimated cost was further enhanced from Rs. 34.23 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore to Rs. 64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore crore and vide notification number S.O. 91(E) dated 6th January, 2015 the project cost was further enhance from Rs.64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore' to 'Rs.104.40 crore including a corpus fund of Rs.2 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 18 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research Centre at Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan" which is being carried out by "Narayan Seva Sanstha, "Seva Dham", 483, Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan – 313002", without any change in the approved cost of Rs.104.40 crore including a corpus fund of Rs.2 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 146/2015 / F.No.V. 27015/1/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

s

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून, 2015

सां0 आ0 1487 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 862(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नारायण सेवा संस्था, "सेवा दाम" 483, हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान - 313002" द्वारा "हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र" को चलाने की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 26.05.2000 की अधिसूचना सं. सां. आ. 508(अ0) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 05.07.2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 785(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1013(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद मे दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 840(अ0) वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2895(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 05.07.2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 785(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 2.91 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था ; दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. सां. आ. 249(अ0) द्वारा परियोजना लागत को 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपए से 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 34,23,86,748.00 करोड़ रुपए तक और आगे बढ़ा दिया गया था; दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 840(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 34.23 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था और दिनांक 06.01.2015 की अधिसूचना सं. सां. आ. 91(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (क) ''नारायण सेवा संस्था, ''सेवा दाम'' 483, हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान - 313002'' द्वारा चलाई जा रही ''हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र'' की परियोजना अथवा स्कीम को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(सं0 146/2015/फा0 सं0 वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)